

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लमटेड
सीआईएन: एल 65910डीएल 1986 जीओआई 024862
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत
टेलीफोन:- +91 11 23456000, फैक्स: +91 11 23412545, ईमेल: investorsgrievance@pfcindia.com
वेबसाइट: www.pfcindia.com

सूचना

एतद्वारा यह सूचत कया जाता है के नीचे उल्लिखित व्यवसाय संचयवहार के लए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लमटेड के सदस्यों की बतीसर्वो वार्षक आम सभा का आयोजन मंगलवार, दिनांक 11 सतम्बर, सतम्बर, 2018 को प्रातः 10.30 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली 110004 में कया जाएगा:-

साधारण संचयवहार

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्तीय वर्ष के लए कंपनी के समेकत वर्तीय वरणों, लेखा परीक्षत वरणों सहित उसमें शामल कंपनी के निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त प्राप्त करना, वचार करना एवं अंगीकार करना।
2. वर्तीय वर्ष 2017-18 के कुल लाभांश के रूप में अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना।
3. रोटेशन में सेवानिवृत्त हो रहे तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र एवं पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले श्री चन्मय गंगोपाध्याय (डीआईएन:02271398) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।
4. सांघधक लेखा परीक्षकों के लए पारिश्रमक निर्धारित करना।

वशेष संचयवहार

5. श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष (डीआईएन: 07970522), की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति तथा इस संबंध में वचार एवं योग्य पाए जाने की स्थिति में वशेष संकल्प के तौर पर निम्नलखित संकल्प संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) पारित करना :

“संकल्प कया जाता है के कंपनी अधनियम, 2013 के खंड 149, 142 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, उसके अध्याधीन निर्मत नियमों के अनुसरण में श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष वर्ष (डीआईएन: 07970522), जिन्हें वद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 सतम्बर, 2017 के पत्र संख्या 20/8/2016-समन्वय (खंड-11) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कया गया था, तथा तदनंतर कंपनी अधनियम, 2013 के खंड 161 के अनुसरण में उन्हें निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक के लए 3 नवंबर, 2017 से अपर निदेशक नियुक्त कया गया था तथा कंपनी द्वारा श्रीमती गौरी चौधरी से लखत में कंपनी में निदेशक के पद की अपनी उम्मीदवारी के वरण के साथ नोटिस प्राप्त कया गया है, अतः अब उन्हें एतद्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त कया जाता है।”

6. भारत में तथा / अथवा भारत से बाहर निजी प्रतिस्थापन आधार पर ₹65,000 तक निध जुटाने के लए बॉण्ड/डबेंचर/क्रूण प्रतिभूतियां जारी करना तथा इसके संबंध में वचार करना तथा उचत पाए जाने की स्थिति में वशेष संकल्प के तौर पर निम्नलखित संकल्प संशोधन अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साथ पारित करना:

“संकल्प कया जाता है के कंपनी (प्रतिभूतियों का वरण एवं आबंटन) नियमावली 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्वारा प्रतिभूत/अप्रतिभूत, यमोचन योग्य, अपरिवर्तनीय, कर योग्य / कर मुक्त, सीनियर / सबओर्डनेटिड बॉण्ड्स/डबेंचर्स/नोट्स/क्रूण प्रतिभूतियों का चालू वार्षक आम बैठक की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर भारत तथा / अथवा भारत के बाहर निजी प्रतिस्थापन के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधयां जुटाने का अनुमोदन प्रदान कया जाता है।”

“आगे यह संकल्प कया जाता है के कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कसी प्राधकारी द्वारा वधवत गठित अन्य कसी समति सहित) एतद्वारा एतद्वारा चालू वार्षक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि में भारत तथा / अथवा भारत के बाहर निजी प्रतिस्थापन के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधयां जुटाने जुटाने के लए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, यमोचन योग्य, अपरिवर्तनीय, कर योग्य / कर मुक्त, सीनियर / सबओर्डनेटिड बॉण्ड्स/डबेंचर्स/नोट्स/क्रूण प्रतिभूतियों (“बॉण्ड्स”) में अंशदान करने करने के प्रस्ताव (प्रस्तावों) अथवा आमंत्रण (आमंत्रणों) को जारी के लए प्राधकृत हैं तथा एतद्वारा प्राधकृत कया जाता है तथा उसे बॉण्ड्स जारी करने के संबंध में आवश्यक समझे गए सभी

सभी कृत्य, क्रयाएं एवं कार्य करने का प्राधिकार होगा जिसमें अन्यों के साथ साथ अंकत मूल्य, इश्यू आकार, समय, राश, सुरक्षा, कूपन द्व्याज दर, प्रतिफल, लस्टिंग, आबंटन तथा बॉण्ड्स के के इश्यू की अन्य नियम एवं शर्तें वरेकानुसार आवश्यक समझे गए कार्य भी शामल होंगे।”

“आगे यह संकल्प कया जाता है के कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कसी प्राधिकारी द्वारा वधवत गठित अन्य कसी समति सहित) एतद्वारा एतद्वारा उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लए आवश्यक समझे गए ऐसे सभी कृत्य, क्रयाएं तथा कार्य करने के लए प्राधिकृत हैं तथा एतद्वारा प्राधिकृत कया जाता है।”

7. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरणकर्ता कंपनी) का समामेलन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) तथा कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 230-232, जो उसके अध्याधीन निर्मत नियमों एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2017 की अधसूचना संख्या जी.एस.आर. 582 (ई) के साथ पठनीय है, के अंतर्गत उनके संबद्ध शेरधारकों एवं ऋणदाताओं में मैं कर जाने की योजना व्यवस्था का अनुमोदन करना तथा इस संबंध में वचार करके उचत समझे जाने पर वशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प संशोधन अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साथ पारित करना :

“यह संकल्प कया जाता है के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13 जून, 2017 की अधसूचना संख्या जीएसआर 582(ई) के साथ पठित कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 230-232 232 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों, परिपत्रों तथा अधसूचनाओं (कसी सांवधक संशोधन अथवा पुनः व्यवस्थापन सहित), जैसा भी लागू हो तथा कंपनी कंपनी के संगम ज्ञापन तथा कंपनी के संगम अनुच्छेद के प्रावधानों की शर्त पर तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथावश्यक अन्य शर्तों और आशोधनों पर तथा सहमतियां, अनुमोदनों, अनुमतियाँ, जो कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) को स्वीकृत हों, को प्रदान करने समय कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित तथा प्रत्यारोपत, जिसके अर्थ में निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा इस संकल्प में प्रदत्त की गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लए नामत कसी व्यक्ति द्वारा गठित अथवा गठित की जाने वाली एक अथवा अधक समति (समतियां) भी शामल मानी जाएंगी, की सहमति होने पर पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरणकर्ता कंपनी) का समामेलन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) तथा उसके संबद्ध शेरधारकों एवं ऋणदाताओं के साथ कर जाने की व्यवस्था योजना की व्यवस्था का स्वरूप इस बैठक में प्रस्तुत कया गया तथा उसपर समति के अध्यक्ष द्वारा अभनिर्धारण के उद्देश्य से हस्ताक्षर कर गए, जिसे एतद्वारा अनुमोदित कया गया है।”

“आगे यह संकल्प कया जाता है के निदेशक मंडल ऐसे सभी कृत्य, क्रयाएं, मामले तथा कार्य, जिस प्रकार के हों, उक्त संकल्प को प्रभाव देने तथा योजना में निहित व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन के लए तथा ऐसे बदलाव, संशोधन, परिसीमा तथा / अथवा स्थितियां, यदि कोई हों, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा योजना की व्यवस्था के स्वरूप का अनुमोदन दिए जाने के दौरान अथवा कसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित तथा / अथवा प्रत्यारोपत की गई हों, यदि कोई हों, , अथवा कसी प्रश्न अथवा संदेह अथवा कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से, ऐसी लेखा प्रवणियों को लेखा बहिर्यों में प्रभारित करने तथा / अथवा समायोजित करने सहित योजना को प्रभाव देने के लए आवश्यक मानी गई हैं, वरेकानुसार आवश्यक, वांछनीय, यथोचत अथवा उचत समझे गए अनुसार कर सकेगा।”

निदेशक मंडल के आदेश से

मनोहर बलवानी
कंपनी सचव

पंजीकृत कार्यालय:

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंभा लेन,
कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली- 110001

सीआईएन: एल65910डीएल1986जीओआई024862

तिथ: 03.08.2018

नोट :

1. वार्षिक आम बैठक ("बैठक") में भाग लेने तथा वोट देने का पात्र कोई भी सदस्य अपने स्थान पर अपनी ओर से बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के लए कसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तथाप, प्रॉक्सी की नियुक्ति के लए वधवत पूर्ण, मोहरबंद एवं हस्ताक्षरित उपकरण बैठक प्रारंभ होने से कम से कम अड़तालस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना चाहिए। खाली प्रॉक्सी फार्म संलग्न हैं तथा इनकी निःशुल्क प्राप्ति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भी की जा सकती है। इस प्रकार नियुक्त कर जाने वाले प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
2. कोई व्यक्ति अधिकतम पचास ऐसे सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के कार्य कर सकता है जिनके वोट अधिकार युक्त शेयरों की होल्डिंग कंपनी की कुल शेयर पूँजी के दस प्रतिशत से अधक न हो। कंपनी की कुल शेयर पूँजी में से दस प्रतिशत से अधिक वोट अधिकार युक्त शेयरों का धारण करने वाले सदस्य कसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं तथा ऐसे ऐसे व्यक्ति को कसी अन्य शेयरधारक की ओर प्रॉक्सी के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
3. कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है क वे वधवत हस्ताक्षरित बोर्ड संकल्प / बैठक में भाग लेने तथा अपनी से वोट करने का प्राधिकार देने के लए लाए पॉवर ऑफ एटर्नी की प्रति भजवाने की व्यवस्था करें।
4. बैठक में वोट देने अथवा कोई संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त कोई भी सदस्य बैठक प्रारंभ होने के नियत समय से चौबीस घंटे पूर्व से बैठक के समापन तक लॉज की गई प्राक्षियतों प्राप्ति की जांच कंपनी के व्यवसाय कार्य समय के दौरान कर सकेगा परंतु इसके लए उसे जांच करने की अपनी लखत मंशा कंपनी को कम से कम तीन दिन पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
5. भारतीय प्रतिभूति एवं वित्तीय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), वित्तीयमावली, 2015 के वित्तीयम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) वित्तीयमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के अंतर्गत कंपनी द्वारा बैठक में संव्यवहार की जाने वाली सभी मर्दों के संबंध में कंपनी के सभी शेयरधारकों वो रिमोट ई-वोटिंग की सुवधा प्रदान की जा रही है। कंपनी द्वारा आम एजीएम (वार्षिक आम बैठक) के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुवधा के लए कार्यों कम्प्यूटरशेरर प्राइवेट लमटेड (कार्यों) की सेवाएं सेवाएं प्राप्त की गई हैं। इलैक्ट्रानिक नोटिस के माध्यम से भेजी गई उपस्थिति शीट / ईमेल के निचले भाग में यूजर आईडी तथा पासवर्ड का वरण दिया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा निदेश नीचे प्रस्तुत कर जा रहे हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध है क कृपया वे ई-वोट करने से पूर्व इन निदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

इसके अलावा, इलैक्ट्रानिक वोटिंग स्टेटम बैलेट अथवा पोलंग पेपर के माध्यम से दी जा रही वोटिंग की सुवधा बैठक के दौरान भी उपलब्ध रहेगी तथा बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे सकेंग।

कंपनी द्वारा श्री सचन अग्रवाल, प्रैक्टिसंग कंपनी सचव (एफसीएस नम्बर 5774, सी.पी. नम्बर 5910) को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा इलैक्ट्रानिक वोटिंग स्टेटम / बैठक के दौरान बैलेट अथवा पोलंग पेपर वोटिंग प्रक्रिया की व्यवस्था निष्पक्ष एवं पारदर्शी स्वरूप में करने के लए व्यवस्थापक के तौर पर नियुक्त कर्या गया है।

रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा निदेश

- I. अपने इंटरनेट ब्रॉडबैंड पर यह लंक खोलें: <https://evoting.karvy.com>.
- II. उपस्थिति शीट / ईमेल के निचले भाग में आरंभक पासवर्ड दे दिया गया है।

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नम्बर)	यूजर आईडी	पासवर्ड
	डमेट स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लए:- इवेंट नम्बर के पश्चात : एनएसडीएल के लए :- 8 करेक्टर वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंकों अंकों वाली क्लाइंट आईडी	आपका यूनिक पासवर्ड ईमेल के माध्यम से भेजे गए इलैक्ट्रानिक नोटिस में उपस्थिति स्लिप पर मुद्रित कर्या गया है।

	सीडीएसएल के लए :- 16 अक्षरों वाली बैनिफशियरी आईडी फजिकल स्वरूप में शेरर धारण करने वाले सदस्यों के लए:- इवेंट नम्बर के पश्चात कंपनी में पंजीकृत फोलयो नम्बर	
--	---	--

- (क) कार्वी से ईमेल प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में [ऐसे सदस्यों के लए लागू जिनके ईमेल पते कंपनी / निक्षेपागार सहभागी (पार्टिसपैटों) के पास रजिस्टर हैं]:
- (i) लॉगन ववरण (अर्थात् यूजर आईडी तथा पासवर्ड) दर्ज करें। तथाप, यदि आप पहले से ही कार्वी में ई-वोटिंग के लए पंजीकृत हैं तो आप अपनी वद्यमान यूजर आई डी और पासवर्ड का उपयोग वोट देने के लए कर सकते हैं।
 - (ii) उपर्युक्त ववरण दर्ज करने के पश्चात लॉगन पर क्लिक करें।
 - (iii) पासवर्ड चंज मैन्यू प्रस्तुत होगा। अपने पासवर्ड को बदलकर अपनी पसंद का नया पासवर्ड बना लें। आपके पासवर्ड में कम से कम 8 क्रेक्टर होने चाहिए जिनमें से आपको एक अपर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z), एक न्यूमरिकल (0 से 9) तथा एक वशेष करेक्टर (@,#,\$, इत्यादि) का उपयोग करना है। पहली बार लॉगन करने पर स्टम द्वारा आपसे अपना संपर्क ववरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल पता इत्यादि भी अपडेट करने के लए कहा जाएगा। पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में दोबारा पासवर्ड बनाने के लए आप आप अपना कोई सीफ्र प्रश्न तथा उसका कोई अपनी पसंद का उत्तर भी एन्टर कर सकते हैं। हमारा यह आग्रह है कि आप कभी भी अपना पासवर्ड कसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाए रखने के लए अत्यधिक सावधानी बरतें। अपने नए ववरण के साथ आपको एक बार फर से लॉगन करना पड़ेगा।
 - (iv) सफलतापूर्वक लॉगन कर लेने के पश्चात स्टम द्वारा आपसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड का चयन ई-वोटिंग के लए करने के लए कहा जाएगा।
 - (v) वोटिंग पेज पर "FOR/AGAINST" (पक्ष / वरोध) के लए कटऑफ तिथ के अनुसार अपने शेररों की संख्या (जो आपके वोटों की संख्या भी है) दर्ज करें अथवा आप अपने शेररों शेररों की आंशक अथवा कोई भी संख्या "FOR" (पक्ष) के लए तथा आंशक संख्या "AGAINST" (वरोध) में दर्ज कर सकते हैं परन्तु "FOR/AGAINST" (पक्ष / वरोध) का योग योग ऊपर उल्लिखित आपकी कुल शेररधारिता से अधक नहीं होना चाहिए। आप ABSTAIN (अनुपस्थिति वोटिंग में भाग नहीं लेना माना जाएगा) के वकल्प को भी चुन सकते हैं। यदि कोई सदस्य "FOR" अथवा "AGAINST" में से कोई चयन नहीं करता है तो उसे "ABSTAIN" माना जाएगा तथा ऐसे धारित शेररों को कसी शीर्ष (हेड) की गणना में शामल नहीं किया जाएगा।
 - (vi) जिन सदस्यों के पास एक से अधक फोलयों / डमेट खाते हैं उन्हें प्रत्येक फोलयों / डमेट खातों के लए अलग अलग वोटिंग प्रक्रया करनी होगी।
 - (vii) नोटिस की प्रत्येक मद के संबंध में अलग अलग वोटिंग की जानी है। यदि आप कसी मद वशेष के संबंध में वोट नहीं देना चाहते हैं तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा।
 - (viii) इसके पश्चात आप उचत वकल्प का चयन करके अपना वोट देकर "सबमट" के बटन पर क्लिक करें।
 - (ix) आपके सम्मुख एक पुष्टि बॉक्स प्रस्तुत होगा। आगे बढ़ने के लए आप "OK" के बटन पर क्लिक करें अथवा इसे रद्द करने के लए आप "CANCEL" के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। कसी संकल्प (संकल्पों) के संबंध में एक बार वोट देने के पश्चात आप अपने वोट में बदलाव नहीं कर सकेंग। वोटिंग अवधि के दौरान सदस्य अनेक बार तब तक लॉगन कर सकते हैं जब तक उनके संकल्प (संकल्पों) के संबंध में पूरे वोट डाले जाने हैं।
 - (x) कॉर्पोरेट / इंस्टीट्यूशनल सदस्यों (अर्थात् वैयक्तिक, एच्यूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) से भी अनुरोध है कि वे बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र इत्यादि की प्रमाणत स्कैन प्रति (पीडीएफ फॉर्म) वधवत प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा सत्यापत हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के नम्बरों के साथ व्यवस्थापक को उनके ईमेल पते : sachinag1981@gmail.com पर तथा उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को मार्क करके भजवाने की व्यवस्था करें। ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई इमेज नेमंग फॉर्मट "Corporate Name_Event No." में होनी चाहिए।
- (ख) यदि कसी मामले में सदस्यों को वार्षिक आम सभा के नोटिस की फजिकल प्रति प्राप्त हुई है (उन सदस्यों के मामले में लागू जिनके ईमेल पते कंपनी / डपोजिटरी पार्टिसपैटों) के पास पंजीकृत नहीं हैं अथवा उन्होंने फजिकल प्रति के लए अनुरोध किया है)
- (i) लॉगन ववरण (अर्थात् यूजर आईडी तथा पासवर्ड) दर्ज करें। (आपकी यूजर आईडी और आरंभक पासवर्ड वार्षिक आम बैठक की उपस्थिति स्लिप में दिया गया है)
 - (ii) कृपया अपना वोट देने के लए ऊपर क्रम संख्या (ii) से क्रम संख्या (x) का अनुसरण करें।

- III. कसी भी प्रकार के प्रश्न के लए कृपया अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल से संदर्भ प्राप्त करें जो कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लमटेड की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है। ई-वोटिंग से जुड़ी कसी भी प्रकार की शकायत जानकारी के लए सदस्यों द्वारा श्री बी. श्रीनिवास, कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लमटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट नम्बर 31 एवं 32 गाचीबोवली, फाइनेंशल इन्स्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032, फोन नम्बर 040 67162222 67162222 अथवा कार्वी के टोल फ्री नम्बर 1800-3454-001 पर स्पष्टीकरण के लए संपर्क कया जा सकता है।
- IV. यदि आप ई-वोटिंग के लए कार्वी में पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड के उपयोग से अपना वोट दे सकते हैं।
- V. वोटिंग अधकार की संख्या कटऑफ तिथ अर्थात दिनांक 5 सतम्बर, 2018 को सदस्य (सदस्यों) द्वारा धारित इविचटी शेरों की संख्या के अनुसार होगी। सदस्य तभी अपना वोट दे सकेंगे जब उनके पास उक्त तिथ को शेरों का धारण होगा।
- VI. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधत नियमावली, 2015 के अनुसार इलैक्ट्रानिक वोटिंग अवध वार्षक आम बैठक के आयोजन की तिथ से पूर्वगामी तिथ को सायं 5.00 बजे बंद कर दी जाएगी। तदनुसार वोटिंग दिनांक 8 सतम्बर, 2018 को प्रातः 10.00 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 10 सतम्बर, 2018 को सायं 5.00 बजे बंद की जाएगी। कार्वी द्वारा उस दिन सायं 5.00 बजे ई-वोटिंग माइयूल बंद कर दिया जाएगा।
- VII. कसी सदस्य द्वारा कसी संकल्प पर एक बार वोट दिए जाने के पश्चात उस सदस्य को बाद में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- VIII. वे सदस्य जिन्होंने अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे दिया है वे बैठक में भाग तो ले सकेंगे परन्तु उन्हें फर से वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- IX. वे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है वे अपना वोट बैठक स्थल पर दे सकते हैं।
- X. कोई भी सदस्य वोटिंग के लए केवल एक ही माध्यम अर्थात ई-वोटिंग का माध्यम अथवा वार्षक आम बैठक के अवसर पर वोट देने का माध्यम चुन सकता है। यदि कसी सदस्य सदस्य द्वारा दोनों माध्यमों के चयन से वोट देता है तो ई-वोटिंग से दिया गया उसका वोट मान्य होगा तथा वार्षक आम बैठक के स्थल पर दिया गया वोट अमान्य कर दिया जाएगा।
- XI. वे सदस्य जिन्होंने वार्षक रिपोर्ट के प्रेषण तथा कटऑफ तिथ अर्थात दिनांक 03 सतम्बर, 2018 से पूर्व शेयर अधगृहित कए हैं वे इलैक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट डालने के लए लए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निम्नानुसार प्राप्त कर सकते हैं:-
- क. यदि सदस्य का ईमेल पता अथवा मोबाइल नंबर फोलयो संख्या / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी में पंजीकृत है :
- तो सदस्य अपना अनुरोध 9212993399 पर इस प्रकार एसएमएस भेजकर प्राप्त कर सकते हैं : MYEPWD <स्पेस> इवेंट नम्बर+फोलयो नंबर अथवा डीपी आईडी अथवा क्लाइंट आईडी
- एनएसडीएल के लए उदाहरण : MYEPWD <स्पेस> IN12345612345678
 सीडीएसएल के लए उदाहरण : MYEPWD < स्पेस > 1402345612345678
 फजिकल के लए उदाहरण : MYEPWD <स्पेस> XXX1234567890

अथवा

सदस्य <https://evoting.karvy.com> के होम पेज पर जाकर 'फॉर्मट पासवर्ड' पर क्लिक करें तथा अपना फोलयो नंबर अथवा डीपी आईडी अथवा पैन नंबर डालकर नया पासवर्ड बना सकते हैं।

ख. सदस्य कार्वी को टोल फ्री नम्बर 1-800-3454-001 पर कॉल कर सकते हैं।

ग. सदस्य evoting@karvy.com को ईमेल के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। तथाप, कार्वी द्वारा उन्हीं नए सदस्यों को यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते उनके पास उपलब्ध हैं।

- XII. संकल्पों के परिणामों की घोषणा वार्षक आम बैठक में अथवा उसके पश्चात कंपनी द्वारा की जाएगी तथा उन संकल्पों को वार्षक आम बैठक की तिथि को पारित माना जाएगा जिन संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट डाले गए हैं।
- XIII. व्यवस्थापक (व्यवस्थापकों) की रिपोर्ट (रिपोर्टों) के साथ घोषत परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) तथा कार्वा की वेबसाइट (<https://evoting.karvy.com>) पर देखे जा सकेंगे तथा इन्हें बीएसई लमटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लमटेड को भी भजवाया जाएगा।
- XIV. कृपया नोट करें क कोई व्यक्ति जो कटऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से ही देखना चाहिए।
- XV. भवव्य में सूचना (सूचनाओं) के प्रेषण के लए आप अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आई अपने यूजर प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं।

6. कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में बैठक के दौरान कर जाने वाले वशेष संव्यवहार से संबंधित ववरण इसके साथ संलग्न कया गया है।

7. भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), वनियमावली, 2015 के वनियम 36(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार रोटेशन में सेवानिवृत्त हो रहे तथा मद संख्या 3 के अंतर्गत पुनःनियुक्ति का अनुरोध करने वाले श्री चन्मय गंगोध्याय, निदेशक तथा नोटिस की मद संख्या 5 के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाली श्रीमती गौरी चौधरी के संक्षेप प्रोफाइल कंपनी अधनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत इस नोटिस का भाग है।

8. सदस्यों से यह अनुरोध कया जाता है क :-

- यह नोट करें क कार्यक आम बैठक में वार्षक रिपोर्ट की प्रतियां वतरित नहीं की जाएंगी।
- पूरी तरह से भरी हुई तथा हस्ताक्षर की हुई उपस्थिति स्लिप को कृपया बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर सौंपें तथा ऑडटोरियम में प्रवेश की अनुमति केवल प्रवेश द्वार पर स्लिप के स्थान पर जारी की जाने वाली प्रवेश स्लिप के आधार पर ही दी जाएगी।
- प्रत्येक प्रकार के पत्रव्यवहार में फोलयो एस्लाइंट आईडी तथा डीपी आईडी नम्बरों का उल्लेख करें।
- कृपया नोट करें क कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडटोरियम के भीतर ब्रीफ केस, खाने की वस्तुएं तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- कृपया नोट करें क कार्यक आम बैठक में कसी प्रकार का उपहार / कूपन वतरित नहीं कया जाएगा।
- कृपया नोट करें क संयुक्त धारकों द्वारा बैठक में भाग लेने के मामले में केवल उच्चतर धारण करने वाले धारक को ही वोट देने का अधकार होगा।

9. दिनांक 3 नवम्बर, 2017 तथा दिनांक 26 फरवरी, 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की प्रदत्त इमियरी शेयर पूँजी पर @ 60% (₹6.00 प्रति के पहले अंतरिम लाभांश तथा @18% (₹1.80 प्रति शेयर) के दूसरे अंतरिम लाभांश भुगतान की घोषणा की गई थी जिसका भुगतान दिनांक 23 नवम्बर, 2017 तथा 19 मार्च, 2018 को क्रमशः कर दिया गया है। वे सदस्य जिन्हें लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुआ हैं अथवा जिन्होंने उसका नकदीकरण नहीं करवाया है वे कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कार्वा कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लमटेड से अपने वारंट को पुनःवैध करवाने अथवा डुप्लीकेट वारंट प्राप्त करने के लए संपर्क कर सकते हैं।

10. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियां 1 सतंबर, 2018 से 11 सतंबर, 2018 (दोनों दिन मलाकर) तक बंद रहेंगी।

11. धारा 205ए के साथ पठित कंपनी अधनियम, 1956 की धारा 205सी के अनुसार सात वर्ष की अवधि के चुकता न कर गए / दावा न कर गए लाभांश की राश केन्द्र सरकार की निवेशक नियेशक शक्ति एवं संरक्षण निधि में अंतरित की जानी है। इसलए सदस्यों को यह परामर्श दिया जाता है क वे प्राप्त होने पर अपने लाभांश का नकदीकरण शीघ्र करवा लें। निवेशकों का ववरण (जिन्हें भुगतान कया जाना है) एम.सी.ए. वेबसाइट (फार्म5 आईएनवी) तथा कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है जिससे निवेशक उसके प्रति अपना दावा प्रस्तुत कर सकें।

12. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा “कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लए हरित उपाय” इसलए कर गए हैं जिसके अंतर्गत कंपनियों को कागजमुक्त अनुपालन की अनुमति दी गई है तथा इस संबंध में जारी परिपत्रों के अनुसार वार्षक रिपोर्ट सहित सूचना / दस्तावेज सदस्यों को ईमेल से भजवाए जा सकती हैं। सरकार द्वारा कर जा रहे इस हरित प्रयास का सही मायनों में समर्थन करते हुए सदस्यों से यह अनुरोध है क वे अपने इलैक्ट्रानिक धारण के संबंध में अपना ईमेल आईडी अपने संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसपेट के माध्यम से पंजीकृत करवा लें। जिन सदस्यों के पास फजिकल स्वरूप में शेयर हैं उनसे अनुरोध है क वे कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वा के पास अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करवा लें।

13. सदस्यों को यह परामर्श दिया जाता है क वे अपने ईसीएस (इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग स्टम) मैनडेट की जानकारी कंपनी को दे दें जिससे कंपनी द्वारा ईसीएस के माध्यम से भुगतान कर जा सकें। जिनके पास शेयरों का धारण फजिकल रूप में है वे अपने ईसीएस मैनडेट की जानकारी कंपनी की आरटीवी कार्वा को दे सकते हैं। इलैक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने

वाले सदस्य अपना ईसीएस मैनडेट फॉर्म सीधे अपने डजीटरी पार्टिसपेंस (डीपी) को भेज सकते हैं। जिन्होंने अपना ईसीएस मैनडेट फॉर्म कंपनी / आरटीए / डीपी को पूरे ववरण के साथ दे दिया है उन्हें इसे फर से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

14. फजिकल स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले ऐसे शेयरधारक, जो ईसीएस की सुवधा नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया अपने बैंक के नाम, शाखा और खाता संख्या की जानकारी कंपनी के आरटीए मैसर्स कार्वी को मेल से भजवाने की व्यवस्था करें जिससे लाभांश के वारंट पर उसका ववरण मुद्रित कया जा सके।
15. भारतीय प्रतिभूति एवं वनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), वनियमावली, 2015 द्वारा प्रतिभूति बाजार के प्रत्येक प्रतिभागी से अपना पर्मानेट एकाउंट नंबर (पैन) प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। इलैक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन नंबर अपने डपोजिटरी पार्टिसपेंट को दे दें जो उनके डमैट खातों को को देख रहा है। अंतरिती (अंतरितीयों) के लए भी यह अनिवार्य है कि वह अंतरण के पंजीकरण के लए और फजिकल स्वरूप में लस्टिट कंपनियों के शेयरों के अंतरण सहित प्रतिभूति बाजार लेनदेन और ऑफ मार्केट / प्राइवेट संव्यवहार करने के लए अपने पैन कार्ड की एक प्रति कंपनी/आरटीए के पास जमा करवा दें। तदनुसार, फजिकल स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्य अपना पैन कंपनी / कंपनी की आरटीए कार्वी के पास जमा करवा सकते हैं।
16. फजिकल स्वरूप में अनेक फोलयो वाले शेयरों का धारण करने वाले सदस्य कंसोलडेशन के लए कंपनी अथवा कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वी से अपने शेयर प्रमाणपत्रों के साथ संपर्क कर कर सकते हैं।
17. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों के अंतरण के पंजीकरण, ट्रांसमशन, सबडीजन शेयरों के कंसोलडेशन अथवा शेयरों से संबंधित अन्य कसी मामले तथा / अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के लए कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वी से संपर्क करें।
18. कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की जाती है तथा अधनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में उनके पारिश्रमक का निर्धारण कंपनी की वार्षक आम बैठक अथवा कंपनी द्वारा कए जाने वाले निर्धारण के अनुसार आम बैठक में क्या जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एम.के.अग्रवाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार एवं गंधी मनोचा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में वत्त वर्ष 2018-19 के लए कंपनी का संयुक्त सांवधक लेखापरीक्षण करने के लए चुना गया है। सदस्यों द्वारा निदेशक मंडल को वत्त वर्ष 2018 के संबंध में लेखापरीक्षकों के लए उचत पारिश्रमक का निर्धारण निदेशक मंडल द्वारा उचत स्वरूप में करने का प्राधाकार दिया जाना है।
19. कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 72 के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार कंपनी की शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्य निर्धारित फॉर्म में अपना अनुरोध कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वी को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि शेयरों का धारण डमैट स्वरूप में कया गया है तो नामांकन डपोजिटरी पार्टिसपेंट को प्रस्तुत कया जाना है।
20. फजिकल स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना तत्काल कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वी तथा इलैक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने के मामले में अपने संबंधित डपोजिटरी पार्टिसपेंट को दें।
21. इस बैठक में वत्तीय ववरणों तथा कसी अन्य प्रकार के व्यवसाय के संबंध में कसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य बैठक की तिथ से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व अपना अनुरोध कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के कंपनी सचय को प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे अपेक्षित सूचना बैठक में तत्काल उपलब्ध करवाई जा सके।
22. नोटिस में संदर्भित सभी संबद्ध दस्तावेज एवं सांवधक रजिस्टर प्रत्येक कार्य दिवस (शनिवार तथा रववार के अलावा) में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षक आम बैठक के आयोजन से से पूर्व प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक जांच के लए उपलब्ध होंगे।
23. संपूर्ण वार्षक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com, पर भी उपलब्ध है।
24. तालकटोरा इंडोर स्टेडियम का रूट मैप इसके साथ संलग्न कया जा रहा है।

नोटिस में निर्धारित वशेष व्यवसाय संव्यवहार के संबंध में कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में ववरण।

मद संख्या 5

संलग्न नोटिस की मद संख्या 5 में कए गए वशेष व्यवसाय संव्यवहार से संबंधित सामग्रीगत तथ्य निम्नलिखित ववरण में प्रस्तुत कए गए हैं:-

श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 22 सतम्बर, 2017 के पत्र संख्या 20/8/2016-समन्वय(भाग-II) के माध्यम से उनकी नियुक्ति की अधसूचना जारी कए जाने की तिथि से 3 वर्ष के लए अथवा आगामी आठेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, की गई थी तथा उन्हें निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 3 नवंबर, 2017 से इस वार्षक आम बैठक के आयोजन तक के लए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कया गया था। कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी द्वारा श्रीमती गौरी चौधरी से से लखत में कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के पद की अपनी उम्मीदवारी के ववरण के साथ हस्ताक्षरबद्ध नोटिस प्राप्त कया गया है। श्रीमती गौरी चौधरी की नियुक्ति का वनियमन करने वाले नियमों तथा तथा शर्तों का निर्धारित भारत सरकार द्वारा कया जाना है।

इसके अलावा, सेबी (लस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन), वनियमावली, 2018 में शामल नए वनियम 17(1ए) के अंतर्गत कोई लस्टिंग कंपनी वशेष संकल्प पारित करके 75 वर्ष की की आयु प्राप्त कर चुके कसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं गैर-अधशासी निदेशक के पद पर निदेशक के रूप में प्राप्त कर सकती है। पीएफसी एक सरकारी कंपनी है अतः कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसरण में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा वद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। इस ओर ध्यान दिया जाए क श्रीमती गौरी चौधरी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 75 वर्ष की आयु में तीन वर्ष की अवध के लए वद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की गई थी। तदनुसार, एक वशेष संकल्प प्रस्तावत कया गया है।

उनके संक्षप्त वैयक्तिक ववरण के साथ साथ वशेष कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी वशेषज्ञता का ववरण प्रस्तुत कया जा रहा है जो इस नोटिस का भाग है।

इस संकल्प के प्रति श्रीमती गौरी चौधरी संबद्ध एवं इच्छुक हैं।

इसके अलावा, कोई अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मक अथवा उनके कसी सम्बद्ध का, वत्तीय अथवा अन्यथा, इस संकल्प के पारित होने के प्रति कोई सरोकार अथवा हित, कंपनी में उनकी शेयरधारिता के परिमाण के अलावा, नहीं है।

निदेशक मंडल वशेष संकल्प के रूप में आपको अनुमोदन के लए इस नोटिस के क्रम संख्या 5 पर दिए गए संकल्प की सफारिश करता है।

मद संख्या 6

संलग्न नोटिस की मद संख्या 6 में कए गए वशेष व्यवसाय संव्यवहार से संबंधत सामग्रीगत तथ्य निम्नलखत ववरण में प्रस्तुत कए गए हैं:-

कंपनी अधनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का अधसूचत वत्तीय संस्थान है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वत्तीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत प्रणालीगत स्वरूप में महत्वपूर्ण जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वत्तीयन कंपनी है। कंपनी द्वारा वद्युत संस्थानों की वत्त आवश्यकताओं तथा वद्युत क्षेत्र को वकास आवश्यकताओं की पूर्ति के लए वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी निध आवश्यकताओं की पूर्ति बॉण्ड जारी करके, बैंकों/वत्तीय संस्थानों तथा ईसीबी इत्यादि से आवधक ऋण प्राप्त करके की जाती है।

कंपनी के ऋणों के मुख्य घटक सामान्यता संडकेटिंग ऋण / ऋण व्यवस्था (लाइन ऑफ क्रेडट), दीर्घावध, मध्यावध और अल्पावध ऋणों (वाणज्यिक पेपर सहित) के माध्यम से दीर्घावध/अल्पावध कर दीर्घावध/अल्पावध कर योग्य बॉण्ड/कर मुक्त बॉण्ड / इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड / जीरो कूपन बॉण्ड / सबओर्डेनेटिंग बॉण्ड / अन्य बॉण्ड, ईसीबी के सार्वजनिक निजी प्लेसमेंट के रूप में होते हैं। कंपनी (प्रतिभूतियों का ववरण एवं आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 के साथ पठनीय कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के लए अपरिवर्तनीय डब्बेचरों की निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निध जुटाने के लए वशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त लागु प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 20 सतम्बर, 2017 को आयोजित पछली वार्षक आम बैठक की पछली बैठक में शेयरधारकों द्वारा वार्षक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष वर्ष की अवध के दौरान (अर्थात 20 सतम्बर, 2017 से 19 सतम्बर, 2018) अपरिवर्तनीय डब्बेचरों के माध्यम से ₹65,000 करोड तक की निधयों जुटाने का अनुमोदन प्रदान कया गया था।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त पर भारत तथा / अथवा भारत के बाहर बांड्स/डब्बेचरस/स्लोट्स/ऋण प्रतिभूतियां जारी करके चालू वार्षक आम सभा की बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवध के दौरान ₹65,000 करोड रूपए की निधयों की उत्पति का अनुमोदन दिया गया था।

निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड (निदेशक मंडल द्वारा गठिन अन्य कोई समति अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य कोई प्राधकारी सहित) को भारत तथा / अथवा भारत के बाहर बांड्स/डब्बेचरस/स्लोट्स/ऋण प्रतिभूतियां जारी करके चालू वार्षक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवध के दौरान ₹65,000 करोड रूपए की निधयों की उत्पति का प्राधकार देने के लए लए शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड (निदेशक मंडल द्वारा गठित अन्य कोई समति अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य कोई प्राधकारी सहित) को भारत तथा / अथवा भारत के बाहर प्रतिभूत / अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, कर योग्य, कर मुक्त, वरिष्ठ / सबओर्डेनेट बॉण्ड्स / इबैचर्स / लोट्स / डेव्हट सक्योरिटीज ("बॉण्ड्स") जारी करके चालू वार्षक आम बैठक के आयोजन की तिथि से से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹65,000 करोड़ रुपए की निधयों की उत्पत्ति के लए अंशदान के लए प्रस्ताव देने अथवा निमंत्रण देने का प्राधकार दिए जाने तथा बॉण्ड्स जारी करने से संबंधित सभी आवश्यक कृत्य, क्रयाएं एवं कार्य करने का प्राधकार दिए जाने, जिसमें अन्यों के साथ साथ अंकत मूल्य, इश्यू आकार, समय, राश, सुरक्षा, कूपन / व्याज दर, प्रतिफल, लस्टिंग, आबंटन तथा बॉण्ड्स के के इश्यू के अन्य नियम एवं शर्तों अपने वरेकानुसार आवश्यक समझे गए कार्य भी शामल होंगे, का अनुमोदन देने की अपेक्षा भी शेयरधारकों से की गई है।

तदनुसार, निदेशक मंडल वशेष संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लए इस नोटिस के क्रम संख्या 6 पर दिए गए संकल्प की सफारिश करता है।

निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मक अथवा उनके कसी सम्बद्ध का, वत्तीय अथवा अन्यथा, इस संकल्प के पारित होने के प्रति कोई सरोकार अथवा हित, कंपनी में उनकी शेयरधारिता के परिमाण के अलावा, नहीं है।

मद संख्या 7

संलग्न नोटिस की मद संख्या 7 में वशेष व्यवसाय संव्यवहार से संबंधित निम्नलिखित वरण में कंपनी (समाधान, व्यवस्थाएं तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधनियम, 2013 के खंड 230(3), 231(1) तथा (2) के अंतर्गत सामग्रीगत वरण दिए गए हैं:

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (PFCGEL) तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (PFC) के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 18.7.2016 तथा 9.8.2016 को आयोजित क्रमशः अपनी 35वीं तथा 350वीं बैठक बैठक में पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड का वलय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड में कर जाने के प्रति सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इसके पश्चात "पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरकर्ता कंपनी) का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी)" तथा उनके संबंधित शेयरधारकों का प्रस्तावत समामेलन कर जाने की व्यवस्था के नियम एवं शर्तों से युक्त योजना का अनुमोदन संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25.8.2017 तथा 29.9.2017 को क्रमशः आयोजित बैठकों में दिया गया था तथा यह स्पष्टीकरण वरण अनुलग्नक -1 एवं इस वरण के के भाग के रूप में संलग्न कया जा रहा है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (एतद्वारा सार में दी गई स्वीकृति के अनुसार "अंतरिती कंपनी" के रूप में संदर्भित) के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक इस उद्देश्य से वचार तथा, उचत पाए जाने जाने की स्थिति में, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरकर्ता कंपनी) का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) तथा उनके संबंधित शेयरधारकों ("योजना") का कंपनी अधनियम, 2013 ("अधनियम") की धारा 230-232 (सांबंधित आशोधनों अथवा पुन-प्रवर्तन अथवा उनमें संशोधनों सहित), जो उसके अध्याधीन निर्मत नियमों एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2017 की अधसूचना संख्या जी.एस.आर. 582 (ई) के साथ पठनीय है, का समामेलन कर जाने की प्रस्तावत योजना का अनुमोदन संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा बिना कर जाने के लए आयोजित की जा रही है।

इसके अलावा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सम्मुख दिनांक 9.5.2018 को योजना के साथ उपर्युक्त वलय के लए एक आवेदन प्रस्तुत कया गया है तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय से इस संबंध में प्राप्त होने वाले निदेशों की शर्त पर इक्विटी शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा जा रहा है।

संक्षिप्त वरण

- i. इस योजना में कंपनी अधनियम, 2013 के खंड 230-232 के अंतर्गत आवेदक कम्पनियों के मध्य 1.4.2017 से प्रभावी व्यवस्था की संकल्पना की गई है।
- ii. अंतरकर्ता कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी), जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अध्याधीन केन्द्र सरकार का 'नवरत्न' सार्वजनिक उपक्रम है, के पूर्ण स्वामत्व वाली सहायक कंपनी है। इस प्रकार कंपनी अधनियम के खंड 2(45) के उपवर्णों के अनुसार अंतरकर्ता तथा अंतरिती कम्पनियां, दोनों, 'सरकारी कम्पनियां' हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 13 जून, 2017 की अधसूचना संख्या जी.एस.आर. 582(ई) में "ट्रिव्यूनल" शब्द, जहां कहीं इसका उपयोग हुआ हो, को कंपनी अधनियम, 2013 के अध्याय XV, खंड 230 से 232 में "केन्द्रीय सरकार" से परिवर्तित कर जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, यह योजना केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त के अध्याधीन है।
- iii. पृष्ठभूमि

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरकर्ता कंपनी) का वरण

- क)** “पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड” (अंतरक कंपनी) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 30.3.2011 को कया गया है।
- ख)** कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): यू 65923 डीएल 2011 जीओआई 216796.
- ग)** नाम परिवर्तन से संबंधित ववरण : पावर फाइनेंस कारपोरेशन ग्रीन एनर्जी लमटेड से पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड
- घ)** पर्मार्नेट एकाडंट नम्बर (पैन) : AAGCP1323C (एरजीसीपी। 323सी)
- ङ)** अंतरक कंपनी का पंजीकृत कार्यालय “ऊर्जानिधि”, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली -110001 में स्थित है।

च) अंतरक कंपनी के लक्ष्य :

अंतरक कंपनी गैर - बैंकिंग वत्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है तथा इसके द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर-बैंकिंग वत्त कंपनी (NBFI) का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कया गया है। अंतरक कंपनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा कुशल की प्रत्येक प्रकार की परियोजनाओं के लए वत्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

अंतरक कंपनी का निगमन पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) की वस्तावित भुजा के रूप में पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) के पूर्ण स्वामत्व वाली सहायक कंपनी कंपनी के रूप में ऊर्जा के हरित स्रोतों(नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक) के प्रोत्साहन के लए वत्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

- (i) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा की उत्पत्ति के लए वत्तीय सहायता
- (ii) ऊर्जा कौशल एवं संरक्षण के लए वत्तीय सहायता
- (iii) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा के क्षेत्र में उपकरण निर्माण के लए वत्तीय सहायता प्रदान करना।
- (iv) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा को प्रोत्साहित करना।
- (v) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा के लए पा वत्त के माध्यम से वत्तीय सहायता प्रदान करना।
- (vi) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा के क्षेत्र की परियोजनाओं के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (vii) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा की योजनाओं के पुनरुद्धार / सुधार के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (viii) मूल्यांकन के कार्य करना
- (ix) ऊर्जा के नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा वकास एवं आपूर्ति की प्रौद्योगिकी के वभन्न घटकों के लए सर्वेक्षण, अध्ययन तथा अनुसंधान क्रयाकलापों के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (x) पॉयलट परियोजनाओं में सहायता देना
- (xi) सीडीएम परियोजनाओं में सहायता देना
- (xii) कंपनी के सम्बद्ध क्रयाकलापों को प्रोत्साहित, व्यवस्थित करना तथा परामर्शी सेवाएं देना।

संगम ज्ञापन (MoA) तथा संगम अनुच्छेद (AoA) की प्रतियां जांच के लए उपलब्ध हैं।

छ) 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अंतरक कंपनी की प्राधिकृत, इश्यू, सब्सक्राइब्ड तथा प्रदत्त शेयर पूँजी निम्नानुसार है :-

प्राधिकृत पूँजी:	
10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 100,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,00,00,00,000
10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 20,00,00,000 अधमान शेयर	2,00,00,00,000
इश्यू, सब्सक्राइब्ड तथा प्रदत्त शेयर पूँजी:	
10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	100,00,00,000
10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 20,00,00,000 अधमान शेयर	200,00,00,000
योग	300,00,00,000

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) का ववरण :

- क)** "पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड" (अंतरिती कंपनी) सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनी है जिसका निगमन 16.7.1986 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत कया गया गया था।
- ख)** नाम परिवर्तन से संबंधित ववरण: नाम नहीं
- ग)** कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): एल65910 डीएल1986 जीओआई024862
- घ)** पर्मनेंट एकाउंट नम्बर (पैन): AAACP1570H (एएसीपी1570एच)
- ङ)** कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कलाट प्लेस, नई दिल्ली -110001 में स्थित है।
- च)** अंतरिती कंपनी के लक्ष्य:

अंतरिती कंपनी गैर - बैंकिंग वत्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है तथा इसके द्वारा दिनांक 10.2.1998 को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर-बैंकिंग वत्त कंपनी (NBFC) का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका वर्गीकरण दिनांक 28 जलाई, 2010 को अवसंरचना वत्त कंपनी के रूप में कया गया है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड ऊर्जा क्षेत्र का एक प्रमुख वत्तीय वत्तीय संस्थान एवं गैर-बैंकिंग वत्त कंपनी है जो भारतीय ऊर्जा सेक्टर के वकास के लए निधि एवं गैर-निधि आधारित सहायता प्रदान करती है। यह कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में वत्तीयन तथा ऊर्जा एवं सम्बद्ध सम्बद्ध सेक्टरों के एकीकृत वकास के लए सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

- (i) ऊर्जा परियोजनाओं के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (ii) ऊर्जा ट्रांसमशन एवं वत्तरण कार्यों के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (iii) ऊर्जा संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (iv) व्यवस्था सुधार तथा ऊर्जा संरक्षण के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (v) पूंजी उपकरणों इत्यादि के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (vi) सवेक्षण एवं जांच के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (vii) अध्ययनों, योजनाओं एवं अनुभवों के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (viii) अन्य ऊर्जा स्रोतों के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (ix) परामर्शी सेवाओं का प्रोत्साहन करना तथा संगठित करना।
- (x) पूंजी उपकरणों के निर्माण के लए वत्त उपलब्ध करवाना।
- (xi) ऊर्जा परियोजनाओं से भावी एवं पूर्व संबंद्धता वाली परियोजनाओं के लए वत्त क्रायकलाप।

संगम ज्ञापन (MoA) तथा संगम अनुच्छेद (AoA) की प्रतियां जांच के लए उपलब्ध हैं।

छ) 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अंतरिती कंपनी की प्राधिकृत, इश्यू, सब्सक्राइब्ड तथा प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है :-

प्राधिकृत पूंजी :	
10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर	10000,00,00,000
इश्यू, सब्सक्राइब्ड तथा प्रदत्त शेयर पूंजी:	
10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 264,00,81,408 इक्विटी शेयर	2640,08,14,080
योग	2640,08,14,080

अंतरक कंपनी अंतरिती कंपनी के पूर्ण स्वामत्व वाली सहायक कंपनी है तथा इनके द्वारा समान प्रकार के व्यवसाय करे जाते हैं। समान प्रकार के कार्यों को एक स्थान पर समेकत करने के उद्देश्य से एवं अंतरक कंपनी के प्रभावी प्रबंधन के लए तथा एकल कंपनी के रूप में अंतरिती कंपनी द्वारा वधक इकाईयों की संख्या कम करके, वधक एवं वनियामक अनुपालनों की बहुतायत को कम करके, लागतों को औच्चत्यपरक बनाने सहित समूह संरचना को सुचारू बनाने के लए अंतरक कंपनी का समामेलन अंतरिती कंपनी में करने का निश्चय कर्या गया है।

अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी द्वारा करे जाने वाले स्वतंत्र प्रचालनों से लागतों में काफी बढ़ोत्तरी होती है तथा समामेलन से महत्वपूर्ण स्तर की अत्यधक बचत संभव हो सकेगी तथा लागत में कमी लाई जा सकेगी। समामेलन से ववध इकाईयों की भागीदारी के कारण उत्पन्न होने वाली बहुपरतीय संरचना तथा प्रबंधकीय परस्परव्याप्तता समाप्त हो सकेगी तथा ऐसा करने से ऐसी दोहरी लागतों से भी बचा जा सकेगा जिनसे होलिंग संरचना की वत्तीय कार्यकुशलता प्रभावत होती है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रचालन अत्यधक लागत कुशल हो सकेंगे। इस योजना के परिणामस्वरूप अंतरिती कंपनी तथा इसके व्यवसायों की सरल निगमत संरचना तैयार हो सकेगी जिससे यह और अधक कुशलता के साथ पूँजी का उपयोग कर सकेगी तथा अंतरिती कंपनी के भावी वकास के लए समेकत आधार का निर्माण हो सकेगा।

समामेलन से दोनों कम्पनियों के लक्ष्यों तथा व्यावसायिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने में योगदान मलेगा जो अंतरिती कंपनी से जुड़े व्यवसायों में संवृद्ध, वस्तार और वकास को आगे बढ़ाने में सहायक सहायक होगा। समामेलन से इनके परिणामस्वरूप अंतरिती कंपनी का वकास हो सकेगा और इसे अपने व्यवसायों को और अधक उपयुक्तता से करने के लए सुदृढ एवं ध्यान केन्द्रित आधार मल सकेगा। इसके अलावा, यह व्यवस्था प्रबंधन में संकेन्द्रित फोकस, अनुकूलन, प्रबंधन संरचना को संगत बनाने के कार्यतथा नीति परिवर्तनों का निर्वाध कार्यान्वयन करने में कारगर होगी तथा इससे अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कम्पनियों की कार्यकुशलता में संवर्धन एवं नियंत्रण में भी सहायता मलेगी।

व्यवस्था योजना के अंतर्गत निर्मत सहक्रयाओं से प्रचालनात्मक कार्यकुशलता एवं एकीकृत व्यवसाय क्रयाकलापों में संवर्धन संभव हो सकेगा।

प्रस्तावत व्यवस्था से अंतरिती कंपनी को एकीकरण एवं लोचकता के अपार अवसर प्राप्त होंगे जिससे परिसम्पत्ति आधार, राजस्व, उत्पाद एवं सेवा रेज के संदर्भ में इस उद्योग में यह अपनी स्थिति सुदृढ कर सकेगी।

प्रस्तावत समामेलन से प्राप्त होने वाले अन्य लाभ निम्नानुसार हैं:-

- पूँजी, संसाधनों, परिसम्पत्तियों एवं सुवधाओं का इष्टतम एवं कार्यकुशल तथा औच्चत्यपरक उपयोगत;
- वत्तीय संसाधनों सहित प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्तियों का संवर्धन;
- सहक्रया के लाभों की प्राप्ति;
- बेहतर प्रबंधन तथा व्यवसाय वकास की ओर ध्यान केन्द्रण;
- ऊपरी खर्चों, प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं अन्य व्ययों में कमी लाया जाना;
- शेयरहोलिंग संरचना को सरल बनाना तथा शेयरहोलिंग टायर्स को न्यून करना।

सदस्यों से यह अनुरोध है के वे इसके साथ संलग्न योजना के पूरे सार को अच्छी तरह से पढ़ लें जिससे उन्हें इसके प्रावधानों की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। ऊपर जो बताया गया है वे उक्त योजना की संक्षिप्त वर्णनाएं हैं।

- v. प्रस्तावत योजना का लेखांकन उपचार अधनियम के खंड 133 में निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप है। सांवधक लेखापरीक्षकों द्वारा अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के संबंध में जारी जारी प्रमाण पत्र जांच के लए उपलब्ध है।
- vi. अधनियम के प्रावधान 232(2)(ग) के प्रावधानों के अनुसरण में पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट को अंगीकार कर लया गया है तथा यह अनुलग्नक -2 एवं अनुलग्नक-3 पर क्रमशः संलग्न की गई है।
- vii. अधनियम के अध्याय XIV के खंड 210 से 229 के अंतर्गत अथवा 1956 के अधनियम के अनुवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनियों से सम्बद्ध कोई जांच प्रक्रया प्रारम्भ नहीं की गई है। इसके अलावा, अधनियम के अंतर्गत अथवा 1956 के अधनियम के अनुवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनियों के प्रति कोई प्रक्रया लम्बित नहीं है।

- viii. कम्पनियों की जानकारी के अनुसार उनके प्रति अधिनियम के अंतर्गत अथवा 1956 के अधिनियम के अनुवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत कसी प्रकार की वाइंडिंग अप प्रक्रया फाइल नहीं की गई है है अथवा लम्बित नहीं है।
- ix. 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) का लेखा परीक्षत तुलन पत्र अनुलग्नक-4 में संलग्न हैं तथा 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) का लेखा परीक्षत तुलन पत्र वर्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।
- x. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) की लेखा बहियों के अनुसार (9.5.2018 की स्थिति) अप्रतिभूतित क्रेडिटरों को देय राश क्रमशः 205.28 करोड़ रुपए तथा 2,06,573 करोड़ रुपए है।
- xi. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) की लेखा बहियों के अनुसार (9.5.2018 की स्थिति) प्रतिभूतित क्रेडिटरों को देय राश राश क्रमशः शून्य तथा 20,407.12 करोड़ रुपए है।
- xii. अंतरक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी(4.5.2018 की स्थिति) 300 करोड़ है जिसमें 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के 10 करोड़ इक्विटी शेयर तथा 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के 20 करोड़ पूर्णतः परिवर्तनीय अधमान शेयर हैं। पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड (अंतरक कंपनी) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड (अंतरिती कंपनी) के पूर्ण स्वामत्य वाली कंपनी है तथा अंतरिती कंपनी की की सम्पूर्ण शेयरधारिता का धारण प्रत्यक्ष अथवा इसके नामतों के माध्यम से अंतरक कंपनी के नाम पर कया गया है।
- xiii. अंतरिती कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी (4.5.2018 की स्थिति) 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के 2640,08,14,080 इक्विटी शेयर है जिसमें से अंतरिती कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूँजी के 65.91% मूल्य के 174,02,16,107 शेयरों का धारण भारत के राष्ट्रपति के पास है।
- xiv. अंतरक कंपनी के निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मकों का वर्वरण (20.7.2018 की स्थिति) निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मक का नाम	पता	इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	शेयरों की कुल सं. का %
1.	श्री राजीव शर्मा	क्यू-8, हौज खास एंकलेव, नई दिल्ली ।	शून्य	लागू नहीं
2.	श्री चन्द्रमय गंगोपाध्याय	12, मेघा अपार्टमेंट, मयूर वहार, फेस-1 एक्सटेंशन, दिल्ली -110091.	100	0
3.	श्री नवीन भूषण गुप्ता	110, मधुर जीवन अपार्टमेंट, प्लाट नम्बर 34, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली -110075.	शून्य	लागू नहीं
4.	श्रीमती रचना संह	बी-1004 एक्जोटिका एलीगेंस, अहिंसा खंड, इंदिरापुरम्, गाजियाबाद 201010	NIL	N.A.

- xv. अंतरक कंपनी के निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मकों का वर्वरण (20.7.2018 की स्थिति) निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मक का नाम	पता	इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	शेयरों की कुल सं. का %
1.	श्री राजीव शर्मा	क्यू-8, हौज खास एंकलेव, नई दिल्ली ।	32574	0
2.	श्री चन्द्रमय गंगोपाध्याय	12, मेघा अपार्टमेंट, मयूर वहार, फेस-1 एक्सटेंशन, दिल्ली -110091.	21488	0
3.	श्री नवीन भूषण गुप्ता	110, मधुर जीवन अपार्टमेंट, प्लाट नम्बर 34, सेक्टर-10, द्वारका, नई	24584	0

		दिल्ली -110075.		
4.	श्री अरुण कुमार वर्मा	ई-203, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110002	शून्य	लागू नहीं
5.	श्री सीताराम पारिक	501, सत्यप्रसाद सीएचएसएल, दीक्षित दीक्षित क्रोस रोड नं. 1, वले पाले (पूर्व), मुम्बई ।	शून्य	लागू नहीं
6.	श्रीमती गौरी चौधरी	1/62 डावर प्लेस, बालीगंज, सर्कस एवेन्यू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700019	शून्य	लागू नहीं
7.	श्री मनोहर बालवाणी	फ्लैट नं.- 20, पॉकेट-डी, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली - 110085	शून्य	लागू नहीं

xvi. अंतरक कंपनी अंतरिती कंपनी के पूर्ण स्वामत्व वाली सहायक कंपनी है, अतः समामेलन के वचार से अंतरिती कंपनी द्वारा अपने कोई शेयर जारी नहीं करे जाएंगे तथा इससे अंतरिती कंपनी की शेयरधारिता के पैटर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

xvii. जांच दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा के आयोजन से पूर्व प्रत्येक कार्य दिवस में (शनिवार तथा रववार के अलावा) प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक जांच के लए उपलब्ध हैं:-

- अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद की प्रतियां;
- 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लए अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां;
- अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर;
- अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के सांवधक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप योजना की पुष्टि के लए जारी क्रमशः दिनांक 18.6.2018 एवं 19.6.2018 के प्रमाण पत्र;
- अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा योजना के अनुमोदन के लए पारित संकल्प की क्रमशः दिनांक 25.08.2017 तथा 29.09.2017 की प्रतियां।

इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा इस नोटिस के क्रम संख्या 7 पर उल्लिखित संकल्प के प्रति वशेष संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मक अथवा उनके कसी सम्बद्ध का, वत्तीय अथवा अन्यथा, इस संकल्प के पारित होने के प्रति कोई सरोकार अथवा हित, कंपनी में उनकी शेयरधारिता के परिमाण के अलावा, नहीं है।

मद संख्या 3 तथा 5 के अंतर्गत 32वीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले निदेशकों का ववरण

नाम	श्री चन्मय गंगोपाध्याय	श्रीमती गौरी चौधरी
जन्म तिथ तथा आयु	03.04.1959/59	19.02.1942/76
अर्हता	आईआईटी खड़गपुर से इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक तथा एफएमएस, दिल्ली वश्ववद्यालय से एमबीए	अंग्रेजी व्यापार में स्नातकोत्तर डग्री
नियुक्ति की तिथ	1.1.2017	3.11.2017
नियुक्ति के नियम तथा शर्तें	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लए 1 जनवरी, 2017 से सेवानिवृत्ति की तिथ अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) के पद पर नियुक्ति।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से 3 वर्ष की अवधि के लए, नियुक्ति की अधसूचना की तिथ से आगामी आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति
पारिश्रमक	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से नियुक्ति की शर्तों के अनुसार	शून्य
कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	उन्हें ऊर्जा सेक्टर में 37 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव है, उन्होंने एनटीपीसी, पीएफसी (पीएफसीसीएल सहित) जैसे संगठनों में कार्य किया है। पीएफसी में वे 29 से भी अधिक वर्षों से कार्यरत हैं तथा उन्होंने अनेक परियोजना मूल्यांकन, यूएमपीपी एवं आईटीपी, इक्विटी एवं वल्टीय उत्पाद तथा ऊर्जा सेक्टर के लए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने पीएफसी की पूर्ण स्वामत्व वाली सहकारी कंपनी पीएफसी कंसलटिंग लमटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर भी कार्य किया है।	वे अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर डग्री तथा संगीत प्रभाकर (सतार) हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा वे टेलीफोन परामर्शी बोर्ड (टीएसी) की सदस्य एवं फल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य रही हैं।
वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकें की संख्या तथा निदेशक मंडल की कतनी बैठकों में भाग लया गया।	12/12	6/6
कंपनी के कसी अन्य निदेशक, प्रबंधक तथा तथा अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मक से संबंध	शून्य	शून्य
कंपनी के धारित शेयरों की संख्या	21488	शून्य
अन्य कम्पनियों में निदेशक पद का धारण	<ul style="list-style-type: none"> • पीएफसी कंसलटिंग लमटेड- निदेशक • उडीसा इन्टीग्रेटेड पावर लमटेड - अध्यक्ष • छत्तीसगढ़ सुरगुजा पावर लमटेड -अध्यक्ष • तात्या आंध्रा मेंगा पावर लमटेड - अध्यक्ष • पावर इक्विटी कैपटल एडवाइजर्स प्रा.ल.- निदेशक • पीएफसी कैपटल एडवाइजरी सर्वसेज लमटेड - अपर निदेशक • पीएफसी इंडिया लमटेड- निदेशक • पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड – अपर निदेशक • पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्वसेज लमटेड - निदेशक 	शून्य
सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों की समतियों* में अध्यक्ष सदस्यता	<ul style="list-style-type: none"> • पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड - सदस्य, ऑडट कमेटी एंड स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशप रिलेशनशप एंड शेयरहोल्डर इन्वेस्टर ग्रवयेंस कमेटी • पीएफसी ग्रीन एनर्जी लमटेड- सदस्य, लेखा परीक्षणसमिति 	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लमटेड - सदस्य, ऑडट कमेटी एंड स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशप एंड शेयरहोल्डर इन्वेस्टर ग्रवयेंस कमेटी

*इसमें ऑडट कमेटी एंड शेयरहोल्डर ग्रवयेंस कमेटी के अलावा निदेशक मंडल की अध्यक्षता / सदस्यता शामल नहीं है।



पावर फाइनेंस कारपोरेशन ल मटेड

सीआईएन: एल 65910डीएल 1986 जीओआई 024862

ऊर्जानि थ, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत

टेलीफोन: +91 11 23456000, फैक्स: +91 11 23412545, ईमेल: investorsgrievance@pfcindia.com

वेबसाइट: www.pfcindia.com

उपस्थिति स्लिप

कृपया इस उपस्थिति स्लिप को बैठक हाल में अपने साथ लाएं तथा इसे प्रवेश द्वारा पर सौंप दें।

मैं हम, मंगलवार, दिनांक 11 सतम्बर, 2018 को प्रातः 10.30 बजे तालकटोरा इंडोर स्टे ड्यम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली 110004 में आयोजित की जा रही कंपनी की 32वीं वार्षक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करताकरती हूँ/करते हैं।

क्रमांक : _____

एकल प्रथम ना मत सदस्य का
नाम तथा पंजीकृत पता :

संयुक्त सदस्य(सदस्यों) के नाम, यदि कोई हैं :

पंजीकृत फोल्यो सं.क्रीपी आईडीक्लाइंट आईडी :

धारित शेयरों की संख्या :

प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम :

सदस्य / प्रॉक्सी / प्रा धकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

धारक का नाम	फोल्यो सं.क्रीपी आईडीक्लाइंट आईडी सं.	शेयरों की संख्या

सदस्यों की जानकारी के लाए

सदस्य कृपया यह नोट करें कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के अनुसरण में ई-वोटिंग के उद्देश्य से इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग व्यवरण नीचे दिया जा रहा है। ई-वोटिंग के लाए वस्तृत निदेश वार्षक आम सभा के नोटिस में दिए गए हैं।

इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग व्यवरण

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नम्बर)	यूजर आईडी	पासवर्ड / पन

नोट : कृपया नोटिस में दिए गए ई-वोटिंग निदेशों का अनुसरण करें।



पावर फाइनेंस कारपोरेशन ल मटेड

सीआईएन: एल 65910डीएल 1986 जीओआई 024862

ऊर्जानि ध, 1, बाराखंगा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत

टेलीफोन:- +91 11 23456000, फैक्स: +91 11 23412545, ईमेल: investorsgrievance@pfcindia.com

वेबसाइट: www.pfcindia.com

प्रॉक्सी फार्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014
के नियम 19(3) के अनुसरण में)

मैं हम

1. नाम: _____ ईमेल आईडी: _____

पता: _____ हस्ताक्षर: _____ आने पर

2. नाम: _____ ईमेल आईडी: _____

पता: _____ हस्ताक्षर: _____ आने पर

3. नाम: _____ ईमेल आईडी: _____

पता: _____ हस्ताक्षर: _____

मेरी / हमारी प्रॉक्सी के तौर पर कंपनी की मंगलवार, दिनांक 11 सप्तम्बर, 2018 को प्रातः 10.30 बजे, तालकटोरा इंडोर स्टेंडिंग, तालकटोरा गार्डन, दिल्ली 110004 में आयोजित की जा रही 32वीं वार्षिक आम सभा में मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने तथा वोट (वोटिंग में) तथा नीचे उल्लिखित संकल्पों से संबंधित स्थगन के लए प्राधकृत करता हूँ/करते हैं:

क्र.सं.	संकल्प	For (पक्ष में)	Against (वरोध में)
साधारण संव्यवहार			
1.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्तीय वर्ष के लए कंपनी के लेखापरी क्षत वर्तीय ववरणों सहित समेकत वर्तीय ववरणों तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने, वचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लए।		
2	वर्तीय वर्ष 2017-18 के अंतरिम लाभांश की पुष्टि कुल लाभांश में करने के लए।		
3	रोटेशन में सेवानिवृत्त हो रहे तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र एवं पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले श्री चन्नमय गंगोपाध्याय (डीआईएन:02271398) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।		
4	सांवधक लेखा परीक्षकों के लए पारिश्रम का निर्धारण करना।		
वशेष संव्यवहार			
5.	श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्षीया, (डीआईएन: 07970522) को कंपनी का निदेशक नियुक्त करना		
6.	निजी प्लेसमेंट आधार पर बांड/डर्भेचर स्टोट्स डेव्हलपमेंट सक्योरिटिज जारी करके ₹65,000 करोड़ की निधयों की उत्पत्ति करना।		
7.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी ल मटेड (अंतरक कंपनी) का समामेलन पावर फाइनेंस कारपोरेशन ल मटेड (अंतरिती कंपनी) तथा उनके शेयरधारकों एवं क्रेडिटरों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 230-232 के अंतर्गत, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 582 (ई) तथा उसके अध्याधीन निर्मत नियमों के साथ पढ़ी जानी है, कर जाने की व्यवस्था योजना को अनुमोदन देना।		

दिनांक-----माह-----, 2018 को हस्ताक्षरित

शेयरहोल्डर के हस्ताक्षर

रक्तधारकों के हस्ताक्षर

नोट:

1. इस प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने के लए इसे व धवत भरकर तथा मोहर लगाकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वा र्षक आम सभा के आयोजन से कम से कम 48 घंटे जमा करवाया जाना चाहिए।
2. आम सभाओं के सा च वक मानक -2 के उपवाक्य 6.4.1 के अनुसार प्रॉक्सी धारक को बैठक में भाग लेते समय अपनी पहचान प्रमा णत करनी होगी।

तालकटोरा स्टे डयम, नई दिल्ली 1100014 का रूट मैप

